

आतंक • रेलवे को धमकी देने वाले का पता नहीं, हाई कोर्ट को भेजे गए मेल में आतंकी संगठनों से जुड़े होने का जिक्र, दोनों मामलों की जांच जारी

1 जून को रेलवे लोको शेड उड़ाने चिट्ठी, 9 को हाई कोर्ट में बम रखने का ई-मेल, एफआईआर

क्राइमरिपोर्टर|बिलासपुर

जून के बीते 10 दिनों में रेलवे और हाई कोर्ट में दो धमकी भरे पोस्ट व ई-मेल मिले हैं। रेलवे जीएम ऑफिस में पोस्ट से किसी ने 1 जून को लोको शेड को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके ठीक 9 दिन बाद हाई कोर्ट में सोमवार की शाम 4.31 बजे एक धमकी भरा एक ई-मेल आया। मेल में हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट परिसर के भीतर विस्फोटक

रखे होने की सूचना देते हुए परिसर खाली करने को कहा गया था। मेल की सूचना तल्काल पुलिस को दी गई। अफसर दो बम स्क्वायर की टीम, 50 जवानों के साथ पहुंचे। एक पूरी कंपनी हाई कोर्ट रवाना हुई। देर रात तक पूरे परिसर की जांच की गई। कहीं कुछ नहीं मिला। रात तक अधिकारी हाई कोर्ट में ही डटे रहे। इस धमकी भरे मेल के बाद बाद पुलिस ने हाई कोर्ट और आरपीएफ ने रेलवे परिषेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी है।



पवित्र मिशन को अंजाम देने की धमकी
ई मेल abdul.abdia@outlook.com पते से कोर्ट के अधिकारिक ई मेल पर भेजा गया था। इसमें कई संवेदनशील मुद्दों का जिक्र था। मेल में सेंडर ने पवित्र मिशन को अंजाम देने की धमकी दी थी। पुलिस के साथ मिलकर उसने कोर्ट परिसर में कथित तौर पर अमोनियम सल्फर-आधारित आईडी प्लांट करना बताया था। ईमेल में खुद को मद्रास टाइगर व स्क्वायर के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। 1 जून को पूरे दिन लोको शेड में डटे रहे। लोको शेड से 300 मीटर दूर घेरा गया था।

पूरे दिन रेलवे लोको शेड की जांच

जीएम ऑफिस में 28 मई को एक गुमनाम पोस्ट किसी ने भेजा था। इस पोस्ट में 1 जून को सिरिगिट्टी स्थित रेलवे लोको शेड को उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस के साथ मिलकर आरपीएफ ने तीन दिनों तक पूरे क्षेत्र में बम स्क्वायर के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। 1 जून को पूरे दिन लोको शेड में डटे रहे। लोको शेड से 300 मीटर दूर घेरा गया था।

दोनों जगहों की जांच में कुछ नहीं मिला

रेलवे में किसी ने बिना नाम के एक पोस्ट कार्ड जीएम ऑफिस भेजा था। इसके बाद जांच कराई गई थी। हाई कोर्ट को मिले मेल में भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। मेल में सेंडर ने मद्रास टाइगर व अन्य संगठनों से होना बताया था। हालांकि बम स्क्वायर के साथ पूरी एक कंपनी वहां रात तक मौजूद थी, जिन्हें जांच में कुछ भी नहीं मिला।

-रजनेश सिंह, एसएसपी बिलासपुर